न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्र. ..../17 नि. विदिशा

नि/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4631

आर.एस. सेंगर
द्वारा आज दि. 24-11-17
प्रस्तुत

रीडर ऑफ कोर्ट 24-11-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पं. दि. 6-12-17

1. नितिन कुशवाह पुत्र प्रहलाद सिंह
2. अरविन्द कुशवाह पुत्र प्रहलाद सिंह
3. निखिल कुशवाह पुत्र राजेश कुशवाह

निवासी जवाहर रोड , बासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

..........................निगरानीकर्ता / आपत्तिक

विरूद्ध

1. सुशीला बाई पुत्री मोहनसिंह कुशव निवासी ग्राम मानौरा तहसील ग्यारस जिला विदिशा (म.प्र.)
2. उषा बाई पुत्री मोहनसिंह जाति कुशव निवासी वार्ड नं. 21 रजोदा रोड बासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

................................रिस्पांडेन्ट / आवेदक

3. रामबाई बेवा मोहनसिंह कुशवाह
4. प्रहलाद सिंह पुत्र मोहन सिंह कुशवाह
5. राजेश पुत्र मोहनसिंह कुशव निवासीगण जवाहर रोड , गंजबासौ जिला विदिशा (म.प्र.)

..................................अनावेदक / रिस्पांडे

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहि

न्यायालय तहसीलदार डॉ. निधि वर्मा महोद बासौदा द्वारा प्र.क्र. 226 / ए–6 / 16–17 सुशी बाई विरूद्ध शासन व अन्य ग्राम कस्बा बासौ तहसील बासौदा में पारित आदेश दिना 29 / 09 / 2017 से दुखित होकर

आर.एस. सेंगर
एडवोकेट
24-11-17

श्रीमान् महोदय ,

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4631 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.12.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। यह निगरानी तहसीलदार बासौदा के अंतरिम आदेश दिनांक 29.09.2017 के विरुद्ध पेश की गई है। 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने उभयपक्षों को सुनने के उपरांत संहिता की धारा 32 में प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों के आधार पर नामांतरण पंजी में पारित आदेश स्थगित रखे जाने के आदेश दिए एवं प्रकरण आपत्ति के जवाब हेतु नियत किया है। उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	